F.1/176(40)/2023-R.VI/SPC-II

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
RECRUITMENT BRANCH
SPECIAL CELL- II SECTION

Subject: Recruitment Test for Recruitment toThree vacancies for the post of Technical Officer in Computer & System Division, National Crime Records Bureau (NCRB), Department of Women Safety, Ministry of Home Affairs. (UR-2, OBC-1) (PwBD-1). [Adv. 23/2023 and Vacancy No. 23122302609].

TIME TABLE &INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

PLEASE CAREFULLY READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS, VIOLATION OF ANY INSTRUCTION WILL RENDER THE CANDIDATE LIABLE TO SUCH ACTION AS THE COMMISSION MAY DEEM FIT TO TAKE.{***THE CANDIDATES ARE ADVISED TO BRING THIS COPY OF INSTRUCTIONS TO THE TEST (RECRUITMENT TEST) HALL FOR REFERENCE***}

TIME TABLE

DATE & DAY	INDIAN STANDARD TIME	SUBJECT &SUBJECT CODE
10th August, 2024 (SATURDAY)	02.00 P.M to 04.00 P.M.	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (02)

NOTES:

CANDIDATES' REPORTING TIME AT TESTVENUE IS 90 MINUTES ($1\frac{1}{2}$HOUR) BEFORE THE SCHEDULED COMMENCEMENT OF THE TEST.

ENTRY INTO THE TEST VENUE WILL BE CLOSED 30 MINUTES BEFORE THE SCHEDULED COMMENCEMENT OF THE RECRUITMENT TEST I.E. 01.30 P.M

CANDIDATES MUST BRING HARD COPY(PRINT OUT) OF HIS/HER E-ADMIT CARD TO THE TEST HALL TO SECURE ADMISSION. A CANDIDATE WHO DOES NOT PRODUCE HIS/HER E-ADMIT CARD FOR CHECKING AT THE ALLOTTED VENUE SHALL NOT BE ALLOWED TO TAKE THE TEST.

I. Scheme of the Test:

(a) The test will be of two hours duration.
(b) All questions will carry equal marks.
(c) The test will be objective type questions with multiple choices of answer.
(d) The medium of the test will be English only.
(e) There will be penalty for wrong answers. Every wrong answer will carry a deduction of one-third of the marks assigned to that question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for that question.
(f) The Test will carry a maximum of 300 marks.

II. Syllabus of the Test:

1. Data Structures & Applications
2. Computer Organization & Architecture
3. Discrete Structures & Graph Theory
4. Object Oriented Concepts
5. Design & Analysis of Algorithm
6. Data Communication & Computer Networks
7. Database Management Systems
8. Artificial Intelligence & Machine Learning
9. Cryptography, Information & Network Security
10. Operating Systems
11. Data Mining & Data Warehousing
12. Big Data Analysis
13. Wireless Networks & Mobile Computing
14. Internet of Things & Applications
15. High Performance Computing

III. Weightage:

Selection will be done based on marks scored in the Recruitment Test (RT) and Interview. RT and the Interview shall carry weightage of 75:25 respectively. Only those candidates shortlisted in the RT and who fulfil all the eligibility conditions for the post shall be called for the interview.

IMPORTANT NOTES:

A. The Candidate must take the Test only at the Test Venue indicated in the e-Admit Card only.If the Candidate appears at any other Test Venue, his candidature is liable to be cancelled.

B. As for candidates shortlisted in the RT, the scrutiny would be done on the basis of documents uploaded by them at the time of filling of Online Application (ORA) for the subject post. However, candidates may be asked through e-mail to furnish the deficient documents, if required. Their documents will be scrutinized and those candidates who fulfill all the eligibility conditions of the posts shall be called for interview.

C. The Candidates are directed to undertake the Recruitment Test at their own risk i.e. after verifying that they fulfill the qualifications as prescribed in the Advertisement, and their admission to the Test is purely 'provisional'.

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

e-ADMIT CARD:

1 **e-Admit cards of the candidates of a Commission's Examination will be released one week prior to the date of examination.**

1.1 Immediately on downloading of the e-Admit Card,the candidate should check it very carefully and bring to the notice of the Union Public Service Commission the discrepancies, if any, without loss of time. Special attention may be paid to the subject of the Test. Efforts will be made to upload the revised e-Admit Card(s) at the earliest in case of discrepancies. He/She must read carefully the Important Instructions mentionedtherein.He/she mustbringhardcopy(print out) ofhis/her e-Admit Card to the TEST Hall to secure Admission. The candidates who do not have clear photographs on the e-admit card will have to bring two passport size photographs for appearing in the Recruitment Test with an undertaking along with photo identity proof viz. Aadhar Card, Driving License, Passport, Voter I.D. etc.**A candidate who does not produce his/her e-admit card for checking at the allotted venue should not be allowed to take the examination.**

1.2 The candidate is responsible for the safe custody of the e-Admit Card. In the event of one's e-Admit Card being used by any other person for securing admission to the Test, the onus lies on the candidate to prove that he/she has not secured the service of an impersonator.

1.3 The candidates are allowed only to take with them e-admit card, pen, identity proof, copies of self-photographs and any other item as specified in the instructions of the e-admit card.

1.4 The candidate must bring the e-Admit Card to the TEST Hall. After entering the TEST Hall, the candidate must fill the AttendanceList as per instructions and sign the Attendance Listwhich will be produced before him/her by the Invigilator and then hand over the Attendance List to the Invigilator.

1.5 Candidates are required to use the specific space, available at the designated place in the answer copy, for rough work. Copy of the admit card or any other space/sheet etc should not be used for rough work.

1.6 Violation of any instruction(s) shall entail cancellation of candidature of candidate in addition to any other appropriate action that may be taken by the Commission against the candidate under the Rules of the test.

<u>CONDUCT OF THE RECRUITMENT TEST:</u>

2 Seating Plan for the candidates will be displayed at the venue of the TEST on the day of Recruitment Test. The candidates, before proceeding to the TEST halls/rooms, are advised to check the exact location of their seats.

2.1 The candidate is required to encode/write the serial number of the OMR Sheet and Serial Number and Series of Test Booklet issued to him/her in the Attendance lists, which will be produced before him/her by the Invigilator.

2.2 The candidate is requested to reach the Venue well in advance to undergo frisking. He/She will be allowed to enter the TEST Hall 90 minutes/ $1\frac{1}{2}$hour before prescribed time for the commencement of the Test and get seated immediately on the seat bearing his/her Roll Number.

2.3 The candidate must attempt questions in accordance with the directions given on the Test Booklet.

2.4 The OMR Sheet will be supplied by the Invigilator of the TEST Hall. The candidate will not be provided any separate sheet for rough work as blank sheets for rough work will be appended at the end of the Test Booklet itself.

2.5 The candidate must mark the answers himself/herself with Black Ball point pen by blackening the appropriate circle. Under no circumstances, the candidate will be allowed the help of any other person to mark responses.

2.6 The candidate shall neither copy from the papers of any other candidate, nor permit his/her own papers to be copied. No attempt should be made to obtain any kind of unauthorized assistance. There should NOT be any other marking on the OMR sheet.

2.7 No candidate shall go outside the TEST Hall for any purpose, whatsoever, without prior permission of the **Invigilator on duty/Supervisor.**

2.8 When going to the toilet the candidate should turn his/her OMR sheet upside down.**Further, an official of the venue will check the candidate for any unwanted item in his/her possession viz. mobile, papers, torn pages of a question booklet etc. and he/she must be accompanied by an official of the venue. Furthermore, an official must be deputed outside every toilet of the Venue during the conduct of the Examination to keep watch on the candidates and the time spent by them in the toilet.**

2.9 No candidate shall be permitted to leave TEST Hall till expiry of the allotted time.

2.10 No candidate shall be allowed to go to the toilet during the last 30 minutes of the Test.

2.11 A signal will be given at the beginning of the TEST; at half time and five minutes before the closing time. There will also be a final signal at the closing time. The candidate must not continue to mark or revise his/her answers after the expiry of the time allotted for the paper.

2.12 On completion of the Recruitment Test, the candidate shall continue to be seated and wait until OMR Sheet is collected and is allowed to go by the Invigilator. The candidate should not engage in conversation with any other candidate after the expiry of the allotted time.

2.13 The candidates should not crowd near or loiter in and around the TEST Hall/Room after leaving the Hall/Room.

2.14. Silence must be observed at all times in the TEST Hall/Room.

2.15. The candidate must abide by the instructions on the cover of the Test booklet and on the OMR Sheet and such further instructions as may be given by Supervisor/Invigilator of the Test. If the candidate fails to do so or indulges in disorderly or improper conduct, he/she will render himself/herself liable to expulsion from the Test and/or such other punishment as the Commission may deem fit to impose.

2.16 The candidate will furnish such necessary and correct information as may be required from him/her in the TEST Hall by the Invigilator/Assistant Supervisor/Supervisor/other persons so authorized.

HANDLING OF OMR /TEST BOOKLET:

3.1 Write clearly inBlack Ball point pen the Centre, Subject, Subject Code, Series of the Test Booklet and Roll Number in spaces provided in the OMR Sheet. Encode in Black Ball point pen the Booklet Series, Subject Code and Roll Number in the circles provided for the purpose in the OMR Sheet.

3.2 The Test Booklet Series is indicated on top right hand corner of the Test Booklet. Encode clearly test Booklet Series A, B, C or D as the case may be in the box on top of the OMR Sheet. In case the BookletSeries is not printed on Test Booklet or OMR Sheet is un-numbered, the matter may be reported immediately to the invigilator concerned and the Test Booklet/OMR Sheet may be got replaced.

3.3 The encoding of Test Booklet Series done by each candidate should tally with encoding of Test Booklet Series made by the invigilator at the appropriate space provided in the OMR sheet on the left hand margin with reference to series printed on the cover page of the Test Booklet.

3.4 All the corrections and changes in writing the Roll Number must be initialed by the candidate as well as by the invigilator and countersigned by the supervisor.

3.5 Immediately after the commencement of the test, the candidate should check that the Test Booklet supplied to him/her does not have any unprinted or torn or missing pages or items. If so, he/she should bring it to the notice of the invigilator and get it replaced by a complete Test Booklet of the same series.

3.6 The candidate must not write his/her name or anything else except the specific item of information asked for in the OMR Sheet/Test Booklet.

3.7 The candidate must take care to ensure that the OMR Sheet is not folded, mutilated or torn during handling. There should be no extraneous marking in the OMR Sheet.

3.8 The candidate should not tamper with or take away the OMR Sheet with him/her. He/she will be penalised for any attempt to do so.

3.9. The candidates should note that any omission/mistake/discrepancy in encoding /filling in details in the OMR sheet, especially with regard to Roll Number and Test Booklet Series Code, will render the OMR sheet liable for rejection.

ITEMS ALLOWED AND NOT ALLOWED IN THE HALL

4 The candidates are advised to bring theirown**Black Ball point pen**.Candidates must use only **Black Ballpoint pen**for marking responses on the OMR sheet.

4.1 **NO candidate is allowed to enter the venue with mobile phones and other IT gadgets, books, bags, valuables/ costly itemsetc and that no arrangement shall be made for keeping the same at the Venue. Any infringement of the above instructions shall entail disciplinary action including ban from future TESTs.**

4.2 Candidates are permitted to take with them after conclusion of the Recruitment Test, the Test Booklet issued to them.

4.3 Candidates are advised not to bring any personal/costly item to the test hall, as safe keeping of the same cannot be assured. Commission will not be responsible for any loss of such item.

GENERAL INSTRUCTIONS

5 The candidate must note that his/her admission to the Test is strictly "Provisional".

5.1 The mere fact that an e-Admit Card has been issued to him/her does not imply that the candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his/her application for the Test have been accepted by the Commission as true and correct.

5.2 The candidate must note that the Commission takes up the verification of eligibility conditions i.e. age, educational qualifications, community etc. with reference to original documents only of those candidates who qualify in the Recruitment Test. Unless the candidature is formally confirmed by the Commission, it continues to be "Provisional".

5.3 The candidate must also note that if subsequent to the issue of e-Admit Card, ineligibility is detected at any stage before or after the Test or if the conditions prescribed in the Rules and Instructions given in the advertisement or any other additional information/documents called for at any stage are not complied with within the time specified therein, the candidature would be rejected.

5.4 Travelling and other expenses must be borne by the candidate himself/ herself.

5.5 The Commission does not make arrangements for boarding and lodging of any candidate.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PH CANDIDATES:

6 Recruitment to Three vacancies for the post of Technical Officer in Computer & System Division, National Crime Records Bureau (NCRB), Department of Women Safety, Ministry of Home Affairs. (UR-2, OBC-1) (PwBD-1).

*Of the three vacancies, one vacancy is reserved for candidates belonging to category of Persons with Benchmark Disability (PwBD) Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims and Muscular Dystrophy with disability i.e. Both legs affected but not arms (BL) or Both arms affected (BA) or One leg affected (R or L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA) or One leg and One arm affected (OLA) or Cerebral Palsy (CP) or Leprosy Cured (LC) or Dwarfism (DW) or Acid Attack Victims (AAV) or Muscular Dystrophy (MDy).

The vacancies are also suitable for candidates belonging to category of Persons with Benchmark Disability (PwBD) viz. Blindness and Low Vision with disability i.e. Low Vision (LV), Deaf and Hard of Hearing with disability i.e. Hard of Hearing (HH), Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims and Muscular Dystrophy with disability i.e. Both legs affected but not arms

(BL) or Both arms affected (BA) or One leg affected (R or L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA) or One leg and One arm affected (OLA) or Cerebral Palsy (CP) or Leprosy Cured (LC) or Dwarfism (DW) orAcid Attack Victims (AAV) or Muscular Dystrophy (MDy), Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability and Mental Illness with disability i.e. Specific Learning Disability (SLD).

6.1 At this stage, candidates are being admitted to the Recruitment Test based on the data furnished by the candidates vide their online Application.

6.2 All the candidates, who have claimed themselves as PH candidates, are, therefore, advised to make themselves sure that they belong to the PH categories as mentioned in the Advertisement.

6.3 The candidates must note that if subsequent to the issue of e-Admit Cards, ineligibility is detected at any stage, the candidature would be rejected.

6.4 Candidates of certain categories of disabilities like candidates with Locomotor Disability and Cerebral Palsy (LDCP) where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of function (minimum of 40% impairment)/Blind or Partially Blind candidates, appearing in the RT of 2 hours duration shall be allowed compensatory time @20 minutes/hour i.e. total 40 minutes, apart from allowing the help of scribe, wherever opted for, in the Application Form. For any other category of PwBD, such facility shall be provided subject to production of Certificate for physical limitation to write, as per the proforma enclosed.

6.5 Facility of scribe for candidates appearing in Recruitment Test/s (RTs) to Persons with Benchmark Disabilities (PwBD):

(i) Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, The Persons with Benchmark Disabilities in the categories of blindness, locomotor disability (both arm affected – BA) and cerebral palsy will be eligible for the facility of scribe. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities as defined under section 2 (r) of the RPWD Act, 2016, such candidates will be eligible for the facility of scribe on production of a certificate, to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Annexure-I. Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be eligible to be provided the facility of scribe subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure-III.

(ii) The candidates have discretion of opting for their own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's and the details of scribe in case candidates are bringing their own scribe, will be sought at the time of filling up the application form online as per proforma at Annexure-II. (for Candidates having 40% disability or more) and Annexure-IV (for Candidates having less than 40% disability and having difficulty in writing).

(iii) The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

(iv) The Persons with Benchmark Disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy will be eligible for Compensatory Time of twenty minutes per hour of the Recruitment Test (RT). In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities, such candidates will be eligible for this facility on production of a certificate, to the effect that the person concerned has physical limitation to write, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Annexure-I. Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be eligible to be provided compensatory time subject to production of a certificate, to the effect that person concerned has limitation to write, from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure-III.

(v) Facility of Scribe and/or Compensatory time to eligible candidates will be provided, if desired by them.

Mobile Phones and all such IT Gadgets are banned in the test venue

Annexure-I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs.............................. (name of the candidate with benchmark disability), a person with .... (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o................................., a resident of .... (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon /
Medical Superintendent of a Government Health Care Institution.

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual Impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).

Annexure-II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe
(To be filled by the candidates online to the Commission)

I…………………, a candidate with……………………………… (name of the disability) appearing for the ……………………………………………. (name of the examination) bearing Roll No………………. at …………………………. (name of the centre) in the District …………………, ………………. (name of the State). My qualification is ……………………

I do hereby state that ………………………………… (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is …………………………. In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims thereto.

(Signature of the candidates with Disability)

Place:

Date:

Annexure-III

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.………………………………………………………… (name of the candidate), S/o / D/o ………………………………………………, a resident of ………………………………………… (Vill/PO/PS/District/State), aged……………yrs, a person with (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe forwriting the examination.

a. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination, with the assistance of scribe.

b. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto ………………… (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR Specialist	Clinical psychology st/Rehabilitation Psychologist / Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if f available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Chief District Medical Officer ..Chairperson				

Name of Government Hospital /
Health Care Centre with seal

Place:
Date:

ANNEXURE-IV

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

I………………………………………………………, a candidate with ……………………………………………………………………………… (nature of disability/condition) appearing for the ……………………………………………… (name of the examination) bearing Roll No………………. at ……………………………………. (name of the centre) in the District ………………………………, …………………………………… (name of the state). My educational qualification is ……………………………………………

2. I do hereby state that ……………………………(name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is ……………… In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forefeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

Place:

Date:

फा.1/176(40)/2023-भ.-VI/एसपीसी-II

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती शाखा

विशेष प्रकोष्ठ-II अनुभाग

विषय: कंप्यूटर एवं प्रणाली प्रभाग, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), महिला सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय में तकनीकी अधिकारी के पद की तीन रिक्तियों हेतु भर्ती परीक्षण। (अनारक्षित-2, अ.पि.व.-1) (पीडब्ल्यूबीडी – 01)। [विज्ञापन संख्या 23/2023 और रिक्ति संख्या 23122302609]

समय सारणी और उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी भी अनुदेश के उल्लंघन के कारण उम्मीदवार के विरुद्ध आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है। {***उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों की यह प्रति संदर्भ के लिए परीक्षा (भर्ती परीक्षण) हॉल में साथ लाएं}।***

समय-सारणी

तारीख तथा दिन	**भारतीय मानक समय**	**विषय और विषय का कोड**
10 अगस्त 2024 (शनिवार)	**अपराह्न 02.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक**	**कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी (02)**

टिप्पणी:

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों के रिपोर्ट करने का समय परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 90 मिनट (1 1/2 घंटा पहले है।

भर्ती परीक्षण आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व अर्थात अपराह्न 01.30 बजे परीक्षण स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार परीक्षा भवन में प्रवेश के लिए अपने ई-प्रवेश-पत्र की मुद्रित प्रति (प्रिन्ट आउट) अवश्य साथ लाएं। ऐसा उम्मीदवार जो आबंटित परीक्षा स्थल की जांच करने के लिए अपना ई-प्रवेश-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे परीक्षण हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

(I) परीक्षण की योजना:

(क) परीक्षण अवधि दो घंटे की होगी।

(ख) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

(ग) परीक्षण में बहु-विकल्पीय उत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।

(घ) परीक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा।

(ङ) गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

(च) परीक्षण के अधिकतम अंक 300 होंगे।

(II) परीक्षण का पाठ्यक्रम:

1. डेटा संरचना एवं अनुप्रयोग
2. कंप्यूटर ऑर्गेनाईजेशन एण्ड आर्किटेक्चर।
3. पृथक संरचनाएं (डिस्क्रीट स्ट्रक्चर) और रेखा-चित्र सिद्धांत (ग्राफ थियरी)।
4. विषय-वस्तु आधारित अवधारणा (ऑब्जेक्ट ओरिएंटिड कॉनसेप्ट्स)।
5. डिजाइन एण्ड अनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम।
6. डेटा संचार एवं कंप्यूटर प्रणालियां।
7. डेटा आधारित प्रबंधन प्रणालियां।
8. कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) एवं मशीन लर्निंग।
9. कूटलेखन (क्रिप्टोग्राफी), सूचना एवं नेटवर्क सुरक्षा
10. ऑपेरेटिंग सिस्टम्स।
11. डेटा माइनिंग एण्ड डेटा वेयरहॉउसिंग।
12. बिग डेटा अनालिसिस।
13. वायरलेस नेटवर्क एण्ड मोबाइल कंप्यूटिंग।
14. इंटरनेट ऑफ थिंग्स एण्ड एप्लीकेशन्स।
15. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग।

III वेटेज:

चयन भर्ती परीक्षण एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। भर्ती परीक्षण और साक्षात्कार क्रमश: 75:25 का होगा। केवल उन उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षण में लघुसूचीबद्ध किए जाएगा और जो पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते है उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

<u>महत्वपूर्ण टिप्पणियां:</u>

क. उम्मीदवार उसी परीक्षण स्थल पर परीक्षण दें, जिसका उल्लेख उनके ई-प्रवेश पत्र में किया गया है। यदि उम्मीदवार किसी और परीक्षण स्थल पर परीक्षण देता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

ख. भर्ती परीक्षण में लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों की संवीक्षा पदों हेतु उनके द्वारा ऑन-लाइन आवेदन (ओआरए) भरते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। तथापि अपेक्षित होने पर उम्मीदवारों को दस्तावेजों की कमी की पूर्ति करने के लिए ई-मेल द्वारा कहा जाएगा। उनके दस्तावेजों की संवीक्षा की

जाएगी और उक्त पदों हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

ग. उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षण दें अर्थात वे इस बात की पुष्टि कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं और परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया "अनंतिम" है।

उम्मीदवारों को अनुदेश

ई-प्रवेश-पत्र:

1. आयोग की परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के ई-प्रवेश-पत्र परीक्षा की तिथि के एक सप्ताह पूर्व जारी किए जाएंगे।

1.1 ई-प्रवेश-पत्र को डाउनलोड करने के तत्काल पश्चात उम्मीदवार इसकी ध्यानपूर्वक जांच करें और विसंगतियां, यदि कोई हों, पाए जाने पर उन्हें अविलंब संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। परीक्षण के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विसंगतियों के मामले में प्रयास किए जाएंगे कि संशोधित ई-प्रवेश पत्र यथाशीघ्र अपलोड कर दिए जाएं। उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र पर उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार अपना प्रवेश-पत्र साथ लेकर आएं। जिन उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट रूप से मुद्रित नहीं है वे भर्ती परीक्षण में प्रवेश के लिए परिवचन सहित अपने साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ और अपना फोटो पहचान पत्र का मूल प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि साथ लाएं। यदि कोई उम्मीदवार, जो आबंटित परीक्षा-स्थल पर जांच हेतु ई-प्रवेश-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.2 ई-प्रवेश-पत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी उम्मीदवार की है। यदि कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए इस ई-प्रवेश-पत्र का प्रयोग करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवार का होगा कि उसने किसी प्रतिरूपधारक की सेवा नहीं ली है।

1.3 उम्मीदवार को अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, कलम, पहचान-पत्र, स्वयं के फोटो की प्रतियां और ई-प्रवेश पत्र के अनुदेशों में उल्लिखित कोई अन्य सामग्री को ही लाने की अनुमति होगी।

1.4 उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र परीक्षण हॉल में अवश्य लाएं। परीक्षण हॉल में प्रवेश करने के बाद, उम्मीदवार दिए गए अनुदेशों के अनुसार उपस्थिति सूची भरें और उसमें हस्ताक्षर करें। यह सूची उन्हें निरीक्षक द्वारा प्रदान की जाएगी। हस्ताक्षर करने के बाद उम्मीदवार उपस्थिति सूची, निरीक्षक को सौंप दें।

1.5 उम्मीदवारों को कच्चे काम के लिए उत्तर पुस्तिका के विनिर्दिष्ट स्थान में उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान का ही प्रयोग करना होगा। कच्चे काम के लिए प्रवेश-पत्र की प्रति अथवा अन्य कोई जगह/शीट आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

1.6 किसी भी अनुदेश (शों) का उल्लंघन किए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के साथ-साथ, आयोग द्वारा उम्मीदवार के विरुद्ध परीक्षण की नियमावली के अंतर्गत कोई अन्य उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।

<u>भर्ती परीक्षण का आयोजन</u>:

2. उम्मीदवारों के बैठने की योजना भर्ती परीक्षण के दिन परीक्षण-स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल/कक्ष तक जाने से पहले इस बात की जांच कर लें कि उनके बैठने का स्थान कहां निर्धारित किया गया है।

2.1 उम्मीदवारों को उन्हें प्रदान की गई ओएमआर शीट की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या और श्रृंखला का अंकन, निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई उपस्थिति सूची में करना होगा।

2.2 उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे फ्रिस्किंग हेतु, परीक्षण-स्थल पर पर्याप्त समय रहते पहुंचें। उम्मीदवारों को परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 90 मिनट/1 1/2 घंटा पहले परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार अपने अनुक्रमांक के अनुसार निर्धारित सीट पर तत्काल बैठ जाएंगे।

2.3 उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर अंकित करेंगे।

2.4 ओएमआर शीट की आपूर्ति, परीक्षा हॉल में निरीक्षक द्वारा की जाएगी। उम्मीदवारों को कच्चे काम के लिए अलग से कोई शीट प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि कच्चे कार्य के लिए खाली शीटें, परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न की गई हैं।

2.5 उम्मीदवार काले बॉल पॉइंट पेन से, उपयुक्त गोले को काला करके, स्वयं उत्तरों का अंकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उत्तरों का अंकन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.6 उम्मीदवार न तो किसी अन्य उम्मीदवार के पेपर से नकल करेंगे, ना ही अपने पेपर से नकल करने की अनुमति देंगे। किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ओएमआर शीट पर किसी और प्रकार का निशान **<u>नहीं</u>** लगाया जाना चाहिए।

2.7 कोई भी उम्मीदवार **<u>ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक/पर्यवेक्षक</u>** की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन से परीक्षण हॉल के बाहर नहीं जाएगा।

2.8 शौचालय जाते समय उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट को पलट कर रखेगा। **इसके अतिरिक्त, परीक्षा-स्थल का एक कार्मिक उम्मीदवार की जांच करेगा कि उसके पास कोई अनावश्यक सामग्री यथा मोबाइल, पेपर, प्रश्न पुस्तिका का कोई फटा हुआ कागज़ आदि तो नहीं है और परीक्षा-स्थल का एक कार्मिक उसके साथ जाना चाहिए। इसके अलावा, परीक्षा के आयोजन के दौरान उम्मीदवारों पर नजर रखने तथा उनके द्वारा शौचालय में बिताए जा रहे समय के संबंध में निगरानी हेतु परीक्षा-स्थल के प्रत्येक शौचालय के बाहर एक कार्मिक तैनात किया जाना चाहिए।**

2.9 आबंटित समय के पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.10 किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.11 परीक्षण प्रारंभ होने के समय तथा इसकी आधी अवधि पूरी होने पर और फिर समय समाप्ति से पांच मिनट पहले सिग्नल दिया जाएगा। परीक्षण का आबंटित समय समाप्त होने के समय अंतिम सिग्नल भी दिया जाएगा। पेपर के लिए आबंटित समय समाप्त होने के बाद कोई भी उम्मीदवार अपने उत्तरों का अंकन अथवा उनमें संशोधन नहीं करेगा।

2.12 भर्ती परीक्षण संपन्न होने के बाद उम्मीदवार तब तक अपनी सीट पर बने रहेंगे जब तक कि उनकी ओएमआर शीट निरीक्षक द्वारा ले नहीं ली जाती और उन्हें बाहर जाने की अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती। आबंटित समय के पूरा होने के बाद उम्मीदवार आपस में बातचीत नहीं करेंगे।

2.13 परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर निकलने के बाद उम्मीदवार परीक्षण हॉल/कक्ष के ठीक बाहर भीड़ नहीं करेंगे या घूमेंगे-फिरेंगे नहीं।

2.14 परीक्षण हॉल/ कक्ष में पूरे समय शांति बनाए रखें।

2.15 उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका के कवर पर तथा ओएमआर शीट में दिए गए अनुदेशों के साथ-साथ ऐसे सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे, जो पर्यवेक्षक/निरीक्षक द्वारा परीक्षण के दौरान दिए जा सकते हैं। यदि उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहता है अथवा अव्यवस्था फैलाता है या अनुचित आचरण करता है, तो उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा/अथवा आयोग के विवेकानुसार उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

2.16 उम्मीदवार, परीक्षा भवन में निरीक्षक/ सहायक पर्यवेक्षक/ पर्यवेक्षक/ इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मांगी गई आवश्यक और सही सूचनाएं प्रदान करेंगे।

<u>ओएमआर/परीक्षण पुस्तिकाओं को हैंडल करने के संबंध में अनुदेश</u>:

3.1 ओएमआर शीट पर निर्धारित स्थान पर काले बॉल पॉइंट पेन से केंद्र, विषय, विषय कोड, परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला तथा अपना अनुक्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित करें। ओएमआर शीट में इस प्रयोजनार्थ प्रदान किए गए गोलों में काले बॉल पॉइंट पेन से पुस्तिका की श्रृंखला, विषय कोड तथा अपने अनुक्रमांक का अंकन करें।

3.2 परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला, परीक्षण पुस्तिका के ऊपरी हिस्से के दाएं कोने पर दी गई है। ओएमआर शीट के ऊपरी हिस्से में दिए बॉक्स पर इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन (एनकोडिंग) करें कि आपकी परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला A,B,C या D है। यदि परीक्षण पुस्तिका पर पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित नहीं है, अथवा आपकी ओएमआर शीट पर संख्या अंकित नहीं है तो कृपया इसकी जानकारी संबंधित निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और अपनी परीक्षण पुस्तिका/ ओएमआर शीट को बदलवाएं।

3.3 प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला की एनकोडिंग वही होनी चाहिए, जो निरीक्षक द्वारा ओएमआर शीट के बाएं कोने में निर्धारित स्थान पर की गई हो। यह एनकोडिंग परीक्षण पुस्तिका के कवर पेज पर मुद्रित श्रृंखला के संदर्भ में होनी चाहिए।

3.4 अनुक्रमांक लिखने में किसी प्रकार के संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में, उम्मीदवार के साथ-साथ निरीक्षक द्वारा आद्यक्षर किए जाने चाहिए और यह पर्यवेक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी होना चाहिए।

3.5 परीक्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद उम्मीदवारों को चाहिए कि वह उन्हें प्रदान की गई परीक्षण पुस्तिका के संबंध में यह जांच लें और सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई पृष्ठ अमुद्रित अथवा फटा हुआ अथवा कोई पृष्ठ अथवा अन्य सामग्री गायब नहीं है और यदि ऐसा हो तो इसकी जानकारी निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और इसके स्थान पर उसी श्रृंखला की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका प्राप्त करें।

3.6 उम्मीदवार मांगी गई सूचना के अतिरिक्त ओएमआर शीट/परीक्षण पुस्तिका पर अपना नाम या किसी प्रकार की और कोई बात नहीं लिखेगा।

3.7 उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि हैंडलिंग के दौरान ओएमआर शीट न मुड़े, न फटे और न ही किसी अन्य प्रकार से खराब हो। ओएमआर शीट पर किसी प्रकार की बाहरी मार्किंग नहीं होनी चाहिए।

3.8 उम्मीदवार को ओएमआर शीट से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए या अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा करने पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3.9 उम्मीदवार यह नोट करें कि ओएमआर शीट में विवरण भरने/अंकित करने के मामले में, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड करने के संदर्भ में, किसी प्रकार की चूक/गलती/विसंगति की स्थिति में ओएमआर शीट को अस्वीकृत किया जा सकता है।

<u>परीक्षा हॉल में किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है</u>

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना **काला बॉल प्वाइंट पेन** साथ लाएं। उम्मीदवार, उत्तर पुस्तिका पर उत्तरों का अंकन करने के लिए केवल **काले बॉल प्वाइंट पेन** का ही इस्तेमाल करें।

4.1 किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा-स्थल पर मोबाइल फोन और अन्य आईटी गैजेटों, किताबों, बैग, मूल्यवान/कीमती सामग्री आदि के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और परीक्षा-स्थल पर इन सामग्रियों को रखने का कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें भविष्य में आयोजित किए जाने वाले परीक्षणों पर प्रतिबंध शामिल है।

4.2 भर्ती परीक्षण समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को, उन्हें दी गई परीक्षण पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

4.3 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे व्यक्तिगत/कीमती सामान परीक्षा भवन में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

<u>सामान्य अनुदेश</u>

5. उम्मीदवार यह नोट करें कि परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः "अनंतिम" है।

5.1 उम्मीदवार को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा परीक्षण हेतु उसके आवेदन प्रपत्र में दर्ज की गयी प्रविष्टियां आयोग द्वारा सत्य और सही रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

5.2 उम्मीदवार यह नोट करें कि आयोग मूल दस्तावेजों से केवल उन उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तों अर्थात् आयु, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय आदि का सत्यापन करता

है, जो भर्ती परीक्षण में अर्हक होते हैं। जब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती है तब तक उसकी उम्मीदवारी "अनंतिम" बनी रहती है।

5.3 उम्मीदवार यह भी नोट करें कि ई-प्रवेश पत्र जारी करने के पश्चात किसी भी चरण अथवा परीक्षण के पहले या बाद में किसी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दिए गए नियमों और अनुदेशों में निर्धारित शर्तों या किसी चरण में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है तब उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.4 यात्रा संबंधी व्यय या अन्य प्रकार के व्यय का वहन उम्मीदवार स्वयं करेंगे।

5.5 आयोग किसी भी उम्मीदवार के ठहरने और खान-पान का इंतजाम नहीं करता है।

<u>बेंचमार्क रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u>

6. <u>कंप्यूटर एवं प्रणाली प्रभाग, राष्टीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), महिला सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय में तकनीकी अधिकारी के पद की तीन रिक्तियों पर भर्ती। (अनारक्षित-2, अ.पि.व.-1) (पीडब्ल्यूबीडी-1)।</u>

*तीन रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित लोकोमोटर दिव्यांगता, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीडित तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी संबंधी अक्षमता अर्थात दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या दोनों हाथ प्रभावित (बीए) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओए) या एक पैर और एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीडित (एएवी) या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एमडीवीई) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

ये रिक्तियां बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीड़ी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि सहित दिव्यांगता अर्थात अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने संबंधी अक्षमता अर्थात ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित लोकोमोटर दिव्यांगता, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीढ़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अक्षमता अर्थात दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या दोनों हाथ प्रभावित (बीए) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओए) या एक पैर और एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठरोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीडित (एएवी) या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एमडीवीई), ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी

अक्षमता अर्थात विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं।

6.1 भर्ती के इस चरण में, उम्मीदवारों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन में उनके द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर सम्मिलित भर्ती परीक्षण में प्रवेश दिया गया है।

6.2 जिन उम्मीदवारों ने बेंचमार्क रूप से दिव्यांग होने का दावा किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में यथाउल्लिखित दिव्यांगता श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

6.3 उम्मीदवार यह अवश्य नोट कर लें कि ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने के उपरांत किसी भी चरण में उम्मीदवार के पात्र नहीं पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6.4 दो घंटे की अवधि वाले भर्ती परीक्षण में बैठने वाले कतिपय श्रेणियों जैसे लोकोमोटर दिव्यांगता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (एलडीसीपी) के दिव्यांग उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (न्यूनतम 40% अक्षमता) है/ दृष्टिहीन या आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं, उन्हें स्क्राइब की सहायता के साथ-साथ प्रतिपूरक समय के रूप में 20 मिनट प्रति घंटे की दर से अर्थात् कुल 40 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा, यदि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका विकल्प दिया हो। पीडब्ल्यूबीडी की अन्य श्रेणियों के मामले में इस सुविधा का लाभ, इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित व्यक्ति की लेखन क्षमता प्रभावित है, प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा। प्रमाण-पत्र का प्रोफॉर्मा संलग्न है।

6.5 भर्ती परीक्षण में शामिल होने वाले बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए स्क्राइब की सुविधाः

(i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार, **अनुबंध-I** पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम

दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को **अनुबंध- III** में दिए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, ऐसे उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(ii) उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। स्क्राइब का विवरण अर्थात क्या अपना स्क्राइब ला रहे है या आयोग के स्क्राइब की सेवाएं लेंगे और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय अनुबंध- II (40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) तथा अनुबंध- IV (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है) के प्रपत्र में मांगा जाएगा।

(iii) आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब अथवा स्वयं के स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित – बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार, भर्ती परीक्षण के प्रत्येक घंटे में 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार, अनुबंध–I पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देख-भाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है, यह सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को अनुबंध -III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है, प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(v) पात्र उम्मीदवारों को, मांग किए जाने पर स्क्राइब की सुविधा तथा/या प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

मोबाइल फोन तथा इस प्रकार के आईटी गैजेट्स परीक्षण-स्थल पर प्रतिबंधित हैं ।

अनुबंध-I

परीक्षार्थी की लेखन संबंधी शारीरिक सीमा दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती.. (बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो ....(दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, पुत्र/पुत्री ...., निवासी .... (ग्राम/जिला/राज्य) हैं, की जांच की है और उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त दिव्यांगता इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य देख-भाल संस्था का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/
चिकित्सा अधीक्षक

नोटः प्रमाण-पत्र, संबंधित विषय/दिव्यांगता (जैसे दृष्टि बाधित – नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यांगता – हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया गया होना चाहिए।

अनुबंध–II

स्वयं के स्क्राइब का प्रयोग करने के लिए परिवचन पत्र

(उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को प्रस्तुत किया जाए)

मैं ...., ... (दिव्यांगता का नाम) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो .... (परीक्षा का नाम) अनुक्रमांक............., ... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला ...., ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

मुझे एतद्द्वारा यह कहना है कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से .... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं एतद्द्वारा परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता .... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांकः

<u>अनुबंध-III</u>

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती ………………………………………………......…(उम्मीदवार कानाम), पुत्र/पुत्री ………………………………………, निवासी …………................... (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु ………. वर्ष की जांच की हैजो.. (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

क. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

ख. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक .... तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/मनोरोग विज्ञानी/विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी …………………... अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/
स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम

स्थान:
दिनांक:

<u>अनुबंध-IV</u>

<u>विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।</u>

मैं ……………….........., ... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो .... (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक ...., ... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला ...., ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से .... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता .... है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक: